न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

प्रकरण पार्थना पत्र 30 / 2016(2016 / 00572)

1. भागचन्द पुत्र स्व श्री गजानन्द जाति माली।
2. छोटी देवी पत्नि स्व श्री गजानन्द जाति माली।
3. सीता देवी पत्नि स्व श्री लालाराम जाति माली।
4. सावरा पुत्र स्व श्री लालाराम जाति माली।
5. गोपी पुत्र स्व श्री लालाराम जाति माली।
   समस्त निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब केकड़ी जिला अजमेर।
3. शिश्पाल पुत्र श्री रामनाथ जाति जाट निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–1. श्री शिवप्रसाद पाराशर– वकील प्रार्थी
2. श्री आशुतोष शर्मा –वकील अप्रार्थी

–आदेश:–

दिनांक–24.6.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188,92ए,209 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक चाही गई। निम्न वर्णित आराजीयात वाके कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या (नया)	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	8883 / 441	40.87	बारानी
	कुल किता 1	रकबा 40.87 हैक्टर	

भूमि प्रार्थीगण के कब्जेए काश्तर स्वामित्व व आधिपत्य म बिना रोक टोक के प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज मंगला पुत्र जगन्नाथ के समय से निरन्तर बेरोक टोक प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा स्व० मंगला के वारिस गजानन्द व लालाराम थे । तथा गजानन्द व लालाराम भी फौत हो चुके है। गजानन्द के वारिस प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा स्व० लालाराम के वारिस प्रार्थी न० 3 लगायत 5 है तथा वाद वर्णित आराजी वादग्रस्त से ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्तर स्वामित्व आधिपत्यए उपयोग उपभोग में बेरोक टोक चली आ रही है। वाद वर्णित आराजी पूर्वजो के समय से ही निरन्तर रूप से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने यानि रकबा 15

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

06.10 बीघा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एवम् अधीनस्थ कर्मचारियों [illegible] की बिना [illegible] के फसल काश्त करके उपज निरन्तर बेरोक टोक 60 वर्षो से प्राप्त करते चले आ रहे [illegible] अप्रार्थीगण को पूर्ण जानकारी है तथा कानूनन 60 वर्ष से अधिक अवधि तक प्रार्थीगण का कब्जा काश्त [illegible] से प्रार्थीगण प्रतिकूल कब्जा काश्त के सिद्धान्त के अनुसार खातेदार काश्तकार के हक अधिकार कानूनन प्राप्त कर चुके है व खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 के अधीन अप्रार्थी संख्या 2 कार्यरत है तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 को दिनांक 26.02.2016 [illegible] आराजी से जबरन बेदखल करने एवं अप्रार्थी संख्या 3 का कब्जा करवाने की धमकी दी तथा अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 को धमकी अप्रार्थी संख्या 2 के साथ ही दी कि [illegible] आराजी पर जबरन कब्जा करूंगा तथा कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करूंगा तथा जबरन बेदखल करूंगा। अतः वाद वर्णित आराजी से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थीगण को वाद वर्णित आराजी पुराना खसरा नं० 488 [illegible] 2 वर्तमान खसरा नं० 8883/441 रकबा 40/87 हैक्टर में से रकबा [illegible] 6.10 बीघा यानि 2.45 हैक्टर आराजी जिस पर प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 का बेरोकटोक निरन्तर पूर्वजो के समय से ही यानि 50 वर्षे से कब्जा है से जबरन बेदखल नहीं करे न ही फसल को नष्ट भ्रष्ट करें न ही किसी दीगर व्यक्ति या अप्रार्थी संख्या 3 का आवंटन नियमन या पट्टा या अन्य किसी प्रकार से आवंटन नियमन नहीं करे न ही प्रार्थीगण द्वारा काश्त की गई फसल को नीलाम एवं नष्ट भंवरलाल गापी भ्रष्ट नहीं करें इस हेतु निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के संयुक्त प्रतिकूल कब्जा काश्त के सिद्धान्त प्रिन्सीपल ऑफ एडवर्स पजेशनद्ध के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित एवम आवश्यक है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को वाद वर्णित आराजी में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के संयुक्त कब्जे काश्त में जबरन बेदखल कर दिया जाता है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 या दीगर व्यक्ति को आवंटन नियमन किसी प्रकार से कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 को अजहद हानि होगी अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना एवं प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थीगण का प्राईमा फेसाई केस है तथा वाद की सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को ता फेसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें न ही कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करें न ही आराजीयात का किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन नियमन किसी प्रकार से नहीं करें न ही जबरन बेदखल करें न ही नीलाम करें न ही कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें इस हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को स्वयं एवं उनके नौकर चाकरए अधीनस्थ कर्मचारीए हाली सीरीए सगे सम्बन्धीए एजेन्ट आदि को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण संख्या 3 की ओर से जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाव में बताया कि प्रार्थीगण वाद वर्णित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित होने तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं जो प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र डिग्री योग्य है यानि कि प्रार्थीगण का सम्पूर्ण दावे के अनुतोष का खिलाफ अप्रार्थीगण डिग्री होने योग्य है व डिग्री किया जाना उचित है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 शिशपाल द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जो निम्नानुसार है–

प्रार्थना पत्र वर्णित पैरा संख्या 2 में यह कि कस्बा केकडी की वर्तमान जमाबंदी संवत 2069–72 खाता संख्या 1 के खसरा संख्या 8883/441 रकवा 26.07 सरकार भूमियां शप दर्ज रिकॉर्ड है मूल पत्र में

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

वर्णित में अंकित खसरा नम्बर 441 रकबा 40.89 के क्रमश 488/2मी., 495/3, 502/3साबिक खसरा नम्बर बने है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1,3,4,5,6,7 कानूनी है अतिरिक्त कथन कस्बा केकड़ी का आराजी खसरा नम्बर 8883/441 राजकीय भूमियां(सिवायचक) होने से वादी का वाद खारिज होने योग्य बनता है।

पक्षकारान की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण को बहस पर गौर किया। अप्रार्थीगण के जवाब पर का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का सन्तुलन भी पाया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि प्रार्थीगण की आराजीयात वाक ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर के खाता संख्या नयी 1 के खसरा संख्या 8883/441 के कुल रकबा 40.87 हैक्टर मे से प्रार्थीगण का रकबा 15.06.10 बीघा पर प्रार्थीगण की आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा फरिकेन अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला-अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner